

Tender Cost
By Cash/download Rs. 2500/-

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)
जोरावर सिंह गेट, आमेर रोड़, जयपुर-302002

फर्म का नाम एवं पता

मोबाईल नम्बर

E-Mail ID

ई-निविदा प्रपत्र

1. विषय : निविदा जिस कार्य/वस्तु के लिये दिया जा रहा है
उसका नाम : **Tender for Outsourcing Services of various Personnel in the Institute.**
2. निविदादाता का पूरा नाम :
3. प्रेषित अधिकारी/कार्यालय का नाम : **निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर**
4. निविदा शुल्क के रुपये संस्थान रसीद रसीद नं./डी.डी. नं.
दिनांक के द्वारा जमा करा दिये गये है ।
5. धरोहर राशि रुपये डी.डी. नं. दिनांक/नगद रसीद
संख्या दिनांक के द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान,
जयपुर मे जमा कर दी है ।
6. सभी संलग्न कुल दस्तावेज पृष्ठ संख्या से तक अंकित है एवं स्वहस्ताक्षर
सहित है ।
7. मैं/हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों को स्वीकार करते है और इससे बाध्य रहेगें ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(मय रबड़ स्टाम्प)

स्थान:

दिनांक :

फर्म का नाम

(मय रबड़ स्टाम्प)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)

जोरावर सिंह गेट, आमेर रोड़, जयपुर – 302002

क्रमांक:प्रति.5-2/1/प्लेसमेन्ट/2020

दिनांक :

ई-निविदा सूचना

विषय : संस्थान में विभिन्न सेवायें बाहरी स्रोत के माध्यम से प्राप्त करने हेतु कार्मिकों को अनुबन्ध पर लेने हेतु निविदा।

1. संस्थान में विभिन्न कार्मिकों की सेवाये प्रदान करने हेतु (परिशिष्ट-1 में वर्णित) प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ कम्पनी/फर्म/एजेन्सियों जिनका वार्षिक कुल कारोबार कम से कम 01 करोड़ रुपये का हो, से मोहरबन्ध निविदाये आमंत्रित की जाती है।
2. निविदादाता फर्म किसी भी मंत्रालय, भारत सरकार/राज्य सरकार के विभाग/सरकारी संस्थान / स्वायत्तशासी निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ब्लैक लिस्ट/प्रतिबन्धित नहीं होनी चाहिये। सफल निविदादाता को कार्यादेश देने के उपरान्त यदि यह ध्यान में आता है कि सफल निविदादाता भारत सरकार/राज्य सरकार के विभाग/सरकारी संस्थान / स्वायत्तशासी निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ब्लैक लिस्ट /प्रतिबन्धित है तो उसकी सुरक्षा राशी जब्त करते हुये उसका अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जायेगा।
3. निविदा शुल्क की राशि रु. 2500/- देय होगी। निविदा शुल्क बैंक ड्राफ्ट/नगद, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के पक्ष में देय होगी। बैंक ड्राफ्ट/नगद रसीद तकनीकी निविदा के साथ जमा करानी होगी। निविदा शुल्क वापस नहीं दिया जावेगा तथा निविदा भरने की अन्तिम तिथि दिनांक 05.10.2020 को मध्याह्न पश्चात् 3:00 बजे तक रहेगी।
4. निविदा दाता फर्म कम से कम गत् तीन वर्षों से (आवश्यक रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स के पश्चात् निरन्तर) उपरोक्त सेवाए प्रदान करने के क्षेत्र में कार्यरत होनी चाहिए। फर्म/एजेन्सी के पास केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वास्तशासी निकायों / संस्थान में समान प्रकृति के कार्य का अनुभव होना चाहिये।
5. अनुबन्ध की अवधि अनुबन्ध की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। यह अवधि अनुबन्ध पूर्ण होने के पश्चात भी आवश्यक होने पर परिशिष्ट-2 में वर्णित नियम एवं शर्तों के अनुसार एवं संस्थान द्वारा पूर्ण रुप से सन्तुष्ट होने पर अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
6. धरोहर राशी टेण्डर राशी 3 करोड़ का 2 प्रतिशत अर्थात् रु. 6,00,000/- (छः लाख रुपये मात्र) देय होगी। उक्त धरोहर राशी डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के नाम बनवाकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
7. निविदादाता को अपनी फर्म/कम्पनी का गत तीन वर्ष (2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) की ऑडिटेड बैलेन्स शीट तकनीकी निविदा के साथ लगाना आवश्यक है।
8. ई-निविदा सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> एवं संस्थान की वेबसाईट www.nia.nic.in से डाउनलोड कर सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> भरा जावेगा। सम्बन्धित फर्मों द्वारा सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किये गये टेण्डर डोक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी निविदा ऑनलाईन भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से इस संस्थान में प्रस्तुत करनी होगी।
9. निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय के पश्चात् किसी भी प्रकार की जिस में स्पीड पोस्ट/पोस्ट बैग /कोरीयर शामिल है से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने और सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार, निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

(प्रो. संजीव शर्मा)
निदेशक

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)

जोरावर सिंह गेट, आमेर रोड़, जयपुर-302002

निविदा शर्तें

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर जो कि आयुर्वेद के क्षेत्र में आयुर्वेद की शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, एवं मरीजों की देखभाल के उच्च गुणवत्ता के कार्यों में कार्यरत है, को संस्थान में कार्य हेतु विभिन्न कार्मिकों को संविदा पर लेने के लिये प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय दृष्टी से सुदृढ प्लेसमेन्ट/मैनपॉवर कम्पनी/फर्म/एजेन्सी की सेवाओं की आवश्यकता है। अतः सम्बन्धित फर्मा से सम्पूर्ण विवरण सहित ई-निविदा सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> एवं संस्थान की वेबसाईट www.nia.nic.in से डाउनलोड कर सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> भरा जावेगा।

निविदादाताओं द्वारा सी.पी.पी. पोर्टल पर निविदा निम्नलिखित प्रकार से भरी जायेगी –

क्र.सं.	विवरण	तिथि एवं समय
1.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर भरने की प्रारम्भ तिथि एवं समय (https://eprocure.gov.in/eprocure/app)	15-09-2020 3:00 PM बजे से
2.	निविदा ऑनलाईन भरने की प्रारम्भ तिथि एवं समय (https://eprocure.gov.in/eprocure/app)	15-09-2020 3:00 PM बजे तक
3.	निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि का डी.डी. संस्थान में जमा करने की अंतिम तिथि	05-10-2020 3:00 PM बजे तक
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	06-10-2020 3:00 PM बजे

निम्नांकित सारिणी में दर्शाये गये पदों के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान की राशि प्रत्येक कार्मिक की योग्यता एवं दक्षता पर आधारित होगी :-

S.No.	Name of Post	No. of Post	Qualifications	Fixed Monthly Remuneration include PF/ESI
1.	Taxonomist	1	M.Sc.(Botany) or B.Sc.(Botany) with 2 Years Experience in the field.	40000
2.	System Analyst	1	BE/B.Tech. in Computer Science/Electronic Communication/IT	38588
3.	Sr. Res. Fellow	1	Post Graduate Degree in Ayurveda	38500
4.	Software Engineer	1	B. Tech./B.E.(Computer Science/IT) OR MCA with 2 Years relevant experience OR BCA with 4 Years relevant	35000
5.	Estate Engineer (Civil & Elec.)	2	Degree in Civil/Electrical Engineering	35000
6.	Phyto-Chemist	2	M.Sc. (Phyto-Chemistry/ Chemistry/ Organic Chemistry/ Pharmaceutical Chemistry) OR M.Pharm(Medicinal Chemistry/Analytical Chemistry/Quality Assurance/Phyto-Pharmaceuticals. OR B.Sc.(Chemistry) with 3 Years relevant experience	34734
7.	Pathologist	1	MD in Pathologist	30000
8.	Micro-Biologist	1	MBBS, M.D.(Microbiology) OR DNB (Diplomat of National Board)	30000
9.	Veterinarian	1	B.V.Sc.	30000
10.	Res. Officer (Zoology)	1	M.Sc. (Zoology) with 2 Years relevant experience.	30000

11.	Res. Officer (Biotechnology)	1	M.Sc. (Biotechnology) with 2 Years relevant experience.	30000
12.	Sanskrit Teacher	1	MA in Sanskrit	28938
13.	Computer Programmer	1	BCA/MCA	28938
14.	IT Technician	1	BCA with 2 Years relevant experience	25000
15.	Yoga Instructor	2	A Full Time Regular M.A. (Yoga)/M.Sc.(Yoga) from a recognized University OR Degree in Yoga from a Recognized University OR Any Degree with Full Time Regular One Year Diploma in Yoga (After Degree) from a Recognized university or an Institute of Repute with One Year Professional Experience. Desirable Working Experience in Well Established/Reputed Yoga Therapy Centre/Hospital.	22200
16.	Computer Operator	16	Diploma in Computer Application of minimum 1 year duration from a recognized institution.	22200
17.	DEO (Stenographer)	1	1. Pass in 12 th Standard from a Central/State Board of Education. 2. Ability to write 80 WPM in English Shorthand and 30 WPM in English Typing. 3. Knowledge of Computer Operation like MS Word, Excel, etc. OR Retired PA/Stenographer in English with knowledge of Hindi Typing.	22200
18.	Technician (Audio-Viausl) for Auditorium	1	2 Year ITI Course in Electronics OR 2 Year ITI Course in Radio & Television Mechanics	22200
19.	Junior Research Fellow	1	BAMS	22200
20.	Pharmacognocist	1	M.Sc. (Botany), M.Pharma (Pharmacognoc) OR B.Sc(Botany) with 2 Years relevant experience.	22200
21.	Pharmacologist	1	M.Sc./Ph.D. in Pharmacology	22200
22.	Horticulturist	1	M.Sc. (Horticulture) OR M.Sc. (Agriculture) with 1 Year relevant experience OR B.Sc. (Horticulture/Agriculture) with 3Years relevant experience.	22200
23.	Hardware & Networking Engineer	1	Polytechnic Diploma in Hardware & Networking of 3 Years Duration and 2 Years Experience/Certified by reputed Companies like Microsoft, Linux(Red Hat)	22200
24.	Hardware Engineer	2	Polytechnic Diploma in Hardware & Networking of 3 Years Duration and 2 Years Experience/Certified by reputed Companies like Microsoft, Linux(Red Hat)	22200
25.	Electrician	4	Diploma of Electrician Trade from I.T.I	20850
26.	Plumber	4	Diploma of Plumber Trade from I.T.I	20850
27.	Cook	1	Diploma of Cooking Trade from ITI	18960
28.	Driver	2	1. Middle School Examination or equivalent. 2. Valid Driving License for Light and Heavy Vehicles.	18960
29.	Panchakarma Tech.	5	Qualified Panchakarma Therapists/Assistants	18960
30.	Medical Lab. Technologist	2	Bachelor's Degree in Medical Laboratory Science with 2 Years relevant Experience.	18960

31.	Carpenter	3	Diploma of Carpenter Trade from I.T.I	18960
32.	Mason	1	Practical Knowledge and Experience in Masonry work.	18960
33.	Gymnasium Expert	1	Trained in Gymnasium	18960
34.	Receptionist	1	12 th Pass with 2 years Office Experience.	18960
35.	OT Attendant	2	1. Pass in Secondary from a State Board of Education. 2. Two Years Experience of working in an Operation Theatre of a Hospital of repute having at least 25 Beds.	18960
36.	Labour Room Attendant (Female)	2	1. Pass in Secondary from a State Board of Education. 2. Two Years Experience of working in a Labour Room of a Hospital of repute having at least 25 Beds	18960
37.	MTS	10	10th Pass and at least 2 Years Experience in Office, Hospital and Lab. Work	18960
38.	MTA Painter	3	10th Pass and at least 2 Years relevant experience	18960
39.	MTA	13	10th Pass and at least 2 Years Experience in Office, Hospital and Lab. Work	18960
40.	Attendant, Labourer (M/F)	48	Class 7th Pass.	16770

कार्मिको पर लागू होने वाली सामान्य शर्तें

आयु सीमा एवं नागरिकता	सभी श्रेणियों के लिए आयु सीमा 18 से 65 वर्ष तक हो एवं कार्मिक भारतीय नागरिक हो।
सुरक्षा का ध्यान	फर्म/एजेन्सी द्वारा संस्थान को उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक के विरुद्ध किसी भी तरह का आपराधिक केस दर्ज नहीं होना चाहिये। फर्म/एजेन्सी द्वारा लगाये जाने वाले कार्मिक को अनुमोदन से पूर्व उसके चरित्र एवं पिछले रिकार्ड की अच्छी तरह जांच की जानी चाहिये। उक्त आशय का एक शपथ पत्र पब्लिक नोटेरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
चयन की प्रक्रिया	फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों का अंतिम निर्णय संस्थान निदेशक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
संवैधानिक रजिस्ट्रेशन	तकनीकी पदों के कार्मिकों के पास आवश्यक एवं मान्य संवैधानिक रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जिसकी फोटो प्रति संस्थान में जमा करवानी होगी।
नियम एवं शर्तें	परिशिष्ट:- 2 के अनुसार

परिशिष्ट – 2

नियम एवं शर्तें

सामान्य शर्तें (General)

1. निविदा में भाग लेने के लिये योग्य/विचारणीय होने के लिये निविदादाता का कुल वार्षिक कारोबार गत प्रत्येक तीन वर्षों (2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) में कम से कम 01 करोड़ रुपये होना चाहिये ।
2. निविदा दाता फर्म कम से कम गत तीन वर्षों से (आवश्यक रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स के साथ निरन्तर) उपरोक्त सेवाए प्रदान करने के क्षेत्र में कार्यरत होनी चाहिए।
3. अनुबन्ध की अवधि 01 वर्ष की होगी । यदि उस अवधि में सेवा प्रदाता फर्म/एजेन्सी संस्थान को आवश्यकतानुसार कर्मियों की वांछित आपूर्ति नहीं करने अथवा आपूर्ति किये गये कर्मियों में वांछित गुणवत्ता नहीं पाये जाने के फलस्वरूप संस्थान किसी भी समय चयनित सेवा प्रदाता कम्पनी/एजेन्सी का अनुबन्ध एक माह का नोटिस देकर रद्द कर सकता है तथा सुरक्षा राशि भी जब्त करली जावेगी।
4. निविदा दाता फर्म कम से कम गत तीन वर्षों से (आवश्यक रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स के पश्चात् निरन्तर) उपरोक्त सेवाए प्रदान करने के क्षेत्र में कार्यरत होनी चाहिए। फर्म/एजेन्सी के पास केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वास्थ्यशासी निकायों / संस्थान में समान प्रकृति के कार्य का अनुभव होना चाहिये ।
5. अनुबन्ध की अवधि अनुबन्ध के दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। यह अवधि अनुबन्ध पूर्ण होने के पश्चात भी आवश्यक होने पर परिशिष्ट-2 में वर्णित नियम एवं शर्तों के अनुसार एवं संस्थान द्वारा पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर ही एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
6. चयनित एजेन्सी / फर्म कार्य पूर्ण करने के लिए अनुबन्ध को किसी भी प्रकार से दूसरी फर्म को स्थानान्तरित नहीं करेगी, सब-कान्ट्रैक्ट पर नहीं देगी।
7. वर्तमान में संस्थान को परिशिष्ट-1 में वर्णित सूची अनुसार पदों के सामने वर्णित आवश्यक योग्यता एवं अनुभव अनुसार कार्मिकों की आवश्यकता है। परिशिष्ट-1 में वर्णित सूची में वांछित कर्मियों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी एवं वृद्धि की जा सकती है।
8. संस्थान द्वारा फर्म/एजेन्सी को उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के कार्य संतोषप्रद नहीं होने के स्थिति में एवं सुरक्षा की दृष्टि, कार्य करने की अक्षमता, हितों का टकराव, गोपनीयता में विच्छेद या अवांछनीय आचरण के कारण सम्बंधित कर्मियों को तुरन्त प्रभाव से कार्य से हटाने हेतु निर्देशित किया जा सकता है। एजेन्सी/फर्म को इन निर्देशों का तुरन्त पालन करना होगा। संस्थान में कार्य कर रहे कर्मचारियों का व्यवहार सभ्य, मैत्रिपूर्ण, सकारात्मक एवं कुशल होना चाहिए। किसी भी कार्मिक की वजह से संस्थान को होने वाले नुकसान के पुर्नभरण के लिये एजेन्सी जिम्मेदार होगी ।
9. फर्म/एजेन्सी द्वारा संस्थान में लगाये गये कार्मिकों को फोटो परिचय पत्र उपलब्ध कराना होगा। उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को ड्यूटी समय में फोटो परिचय पत्र पहन कर रखना होगा।
10. फर्म / एजेन्सी द्वारा संस्थान को प्रदान किये गये कार्मिकों के व्यक्तिगत सामान, उपकरण, वाहनों के किसी भी प्रकार से खो जाने, खराब हो जाने, चोरी हो जाने, लूट लिये जाने आदि की स्थिति से उत्पन्न नुकसान के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
11. फर्म/एजेन्सी द्वारा लगाये गये कार्मिकों को एक सप्ताह के भीतर निर्धारित वर्दी/एप्रिन उपलब्ध कराना होगा। कार्मिकों को ड्यूटी समय में निर्धारित वर्दी (यूनिफार्म) पहननी आवश्यक होगी। निर्धारित वर्दी /एप्रिन के बिना संस्थान में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
12. कार्मिक को प्रतिमाह एक सवैतनिक अवकाश देय होगा । उक्त अवकाश का उपभोग नहीं करने पर उसे आगामी माह के लिये अग्रेषित किया जा सकेगा, परन्तु कोई भी कर्मचारी एक माह में शेष अवकाश में से एक साथ तीन अवकाशों से ज्यादा का उपभोग नहीं कर सकेगा । अवकाश उपभोग करने से पूर्व नियंत्रण अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी ।
13. संस्थान में लगाये गये कार्मिक किसी भी प्रकार की कार्यालय परिचालन प्रक्रिया, तकनीकी जानकारी, सुरक्षा की जानकारी, प्रशासनिक एवं संगठनात्मक मामलों को किसी भी व्यक्ति को प्रकट एवं इनका खुलासा नहीं करेगा। यह सभी जानकारिया गोपनीय / अप्रकटनीय होगी ।

14. किसी भी निविदादाता को निविदा जमा कराने के पश्चात् निविदा वापसी की अनुमति नहीं होगी। निविदा वापस लेने की स्थिति में निविदादाता द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
15. निविदादाता फर्म / एजेन्सी को पंजीकरण प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जी.एस.टी प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड एवं फर्म के मालिक/निदेशक का आधार कार्ड की छाया प्रति एवं अन्य वांछित दस्तावेज तकनीकी निविदा के साथ अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे। निविदादाता निविदा में वर्णित नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ कर समझ कर ही निविदा भरें। निविदा भरने के बाद जानकारी के अभाव में या जानकारी नहीं होने के कारण उत्पन्न कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
16. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की उपस्थिति का रिकार्ड उनके अपने स्तर पर रखा जावेगा एवं उसके आधार पर कार्मिकों को देय वेतन/पारिश्रमिक अनुबन्ध में मंजूर की गयी/निर्धारित दरों के अनुसार तय की जावेगी। कानून के अनुसार कार्मिकों के समस्त आवश्यक रिकार्ड जैसे संस्थान से सम्बन्धित उपस्थिति, भुगतान, छुट्टी आदि की समस्त जानकारी रखने की जिम्मेदारी फर्म/एजेन्सी की होगी। संस्थान की इसके लिये किसी भी प्रकार से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
17. आकस्मिक परिस्थिति जैसे की लगाये गये कार्मिक के बीमार होने या ऐसी परिस्थिति जिस पर कार्मिक का बस नहीं होने के कारण यदि वह एक दिन से अधिक संस्थान में ड्यूटी पर अनुपस्थित रहता है तो फर्म/एजेन्सी को ऐसे कार्मिक के स्थान पर दूसरा योग्य कार्मिक तुरन्त ही उपलब्ध कराना होगा।
18. संस्थान में कार्य करने का समय साधारणतय 8 घण्टे प्रतिदिन होगा। संस्थान के कार्य के लिये नियुक्त कार्मिकों को उनको आवंटित किये गये समय अनुसार सायंकाल-रात्रि के समय भी कार्य करना होगा।
19. संस्थान को आवश्यक होने पर फर्म / एजेन्सी को लघु एवं दीर्घ अवधि के लिए भी कार्मिक उपलब्ध कराने होंगे।
20. फर्म / एजेन्सी को हर समय संस्थान से सम्पर्क के लिये तैयार रहना होगा। संस्थान द्वारा ई-मेल / फैक्स / विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजे गये संदेशों को फर्म / एजेन्सी द्वारा तुरन्त ही उसी दिवस को स्वीकार करना होगा।
21. फर्म / कम्पनी / एजेन्सी का जयपुर में पंजीकृत कार्यालय / शाखा होनी चाहियें। अधिकृत अधिकारी का नाम, परिचय प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रमाण सफल निविदा दाता को एक माह के भीतर संस्थान को प्रस्तुत करना होगा।
22. सफल निविदादाता को संस्थान में लगाये गये कार्मिकों की आयु/शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों, सहायक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपिया कार्य आरंभ करने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।
23. निविदादाता द्वारा संलग्न सभी आवश्यक दस्तावेजों पर पेज संख्या डालनी होगी एवं सभी पृष्ठों पर स्वयं के अथवा निविदादाता द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।
24. परिशिष्ट-3 में दिये गये प्रारूप के अनुसार तकनीकी निविदा की सभी प्रविष्टिया स्पष्ट एवं साफ रूप से भरी होनी चाहिये। तकनीकी निविदा में यदि कोई कांट-छांट की गई है वह अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिये। धरोहर राशी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
25. किसी भी रूप में अपूर्ण निविदा को निविदादाता को सूचित किये बिना तुरन्त निरस्त कर दिया जावेगा।
26. निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ निम्न स्पष्ट एवं पठनीय दस्तावेज एवं नवीनीकरण प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक है) जमा कराने होंगे :-
 - फर्म/एजेन्सी के विगत तीन वर्षों से निरन्तर मान्य रजिस्ट्रेशन की प्रति
 - ईपीएफ पंजीकरण की प्रति
 - ईएसआईसी पंजीकरण की प्रति
 - वस्तु एवं सेवा कर में पंजीकरण की प्रति
 - किसी भी सरकारी एजेन्सी (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायतशासी निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) ब्लैकलिस्ट/प्रतिबन्धित नहीं किया गया है के संबन्ध में शपथ पत्र

- किसी भी संस्थान में गत् 3 वर्षों में कार्य करने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/कार्यआदेश की प्रतिया
 - धरोहर जमा राशि टेण्डर राशी 3 करोड़ का 2 प्रतिशत अर्थात् रु. 6,00,000/- (रुपये छः लाख रूपये मात्र) बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के पक्ष में देय होगा।
 - फर्म के विगत प्रत्येक तीन वर्षों के वार्षिक टर्नओवर 01 करोड़ रूपये से सम्बन्धित प्रमाण पत्र ।
 - ई-निविदा सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> एवं संस्थान की वेबसाईट www.nia.nic.in से डाउनलोड कर सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> भरा जावेगा। निविदा शुल्क की राशि रु. 2500/- देय होगी। निविदा शुल्क बैंक ड्राफ्ट/नगद, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के पक्ष में देय होगी ।
 - निविदादाता को संस्थान द्वारा वर्णित नियम एवं शर्तों की सहमति के रूप में निविदा प्रपत्र के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे एवं प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित करनी होगी ।
 - विगत तीन वर्षों (2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) की ऑडिटेड बैलेन्स शीट ।
27. निविदा के साथ धरोहर जमा राशी (टेण्डर राशी) 3 करोड़ का 2 प्रतिशत अर्थात् रु. 6,00,000/- (रुपये छः लाख रूपये मात्र) बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के पक्ष में देय होगी। बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदाओं को तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा। सफल निविदादाता को अनुबन्ध आवंटन के पश्चात् असफल निविदादाताओं को धरोहर राशि लौटा दी जावेगी। सफल निविदादाता को प्रतिभूति सुरक्षा राशि जमा कराने के पश्चात् मूल धरोहर राशि लौटायी जा सकेगी।
 28. कार्मिकों/मैनपॉवर को चयनित करने का एकल सर्वाधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा। सफल निविदा दाता द्वारा उपलब्ध कराये गये योग्य एवं अनुभवी कार्मिकों को संस्थान द्वारा लगाये जाने से पूर्व उनकी उपयुक्तता/उपयोगिता का आंकलन करने के लिए संस्थान निदेशक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा लिया जावेगा ।
 29. निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को उसके द्वारा लगाये गये कार्मिक का बैंकग्रउण्ड पुलिस जांच,आधार नम्बर, ड्राईविंग लाईसेन्स, आवास प्रमाण प्रत्र के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा। संस्थान को फर्म द्वारा लगाये गये कार्मिक के चरित्र सत्यापन का शपथ पत्र पब्लिक नोटेरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
 30. सफल निविदादाता फर्म को अपने द्वारा लगाये गये कार्मिकों के नाम, पते की सूची मय फोटोग्राफ संस्थान को उपलब्ध करवानी होगी।
 31. निविदा दाता फर्म के पास आवश्यक संख्या में कार्मिक उपलब्ध करवाने का अनुभव होना चाहिए। निविदादाता फर्म द्वारा किसी एक संस्था में कम से कम 50 कार्मिक गत तीन वर्षों तक उपलब्ध करवाने का अनुभव होना चाहिए। उक्त कार्मिकों एवं संस्था का नाम संलग्न प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत करना होगा।
 32. सफल निविदादाता द्वारा संस्थान में लगाये गये संविदा कर्मियों के मानदेय से किसी प्रकार की अनाधिकृत राशि की कटौति नहीं करेगा । साथ ही किसी भी प्रकार की अनैतिक मांग कर्मियों से नहीं की जावेगी । इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर फर्म/एजेन्सी का अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है एवं उसके द्वारा जमा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी ।
 33. ई-निविदा सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> एवं संस्थान की वेबसाईट www.nia.nic.in से डाउनलोड कर सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> भरा जावेगा। सम्बन्धित फर्मों द्वारा सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किये गये टेण्डर डोक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी निविदा ऑनलाईन भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से इस संस्थान में प्रस्तुत करनी होगी ।

वैधानिक शर्तें (Legal)

34. संस्थान में लगाये गये कार्मिक, औद्योगिक विवाद अधिनियम – 1947 एवं अनुबंध श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम – 1970 के प्रावधानों के तहत किसी भी प्रकार का लाभ / मुआवजा / समावेश / सेवाओं को नियमित करने की मांग नहीं करेगा। चयनित एजेन्सी / फर्म को अपने लगाये जाने वाले सभी कार्मिकों से इस बाबत शपथ पत्र संस्थान में प्रस्तुत करना होगा।
35. लगाये गये कार्मिक किसी भी तरह से नियोक्ता – कार्मिक संबंध के लाभ की मांग नहीं करेगा। अन्य शब्दों में निविदादाता फर्म अपने सभी कार्मिकों को यह स्पष्ट करे दे की संस्थान से या भारत सरकार से किसी भी कार्मिक का नियोक्ता-कार्मिक, नियोक्त-कार्यकर्ता का संबंध स्थापित नहीं होगा। कार्मिकों को एजेन्सी द्वारा लगाये जाने पर उनका संस्थान में स्थायी / अस्थायी रोजगार का हक नहीं होगा एवं कार्मिकों एवं उनके किसी भी संगठन द्वारा इसके लिए उठायी गई मांग स्वीकार्य नहीं होगी।
36. फर्म / एजेन्सी को अनुबंध श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम – 1970 एवं अनुबंध श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) नियम 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैद्य अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई प्रति संलग्न करनी होगी। निविदादाता फर्म/एजेन्सी को किसी भी कारण से उक्त अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं होता है या अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं किया जाता है, उस स्थिति में अनुबंध स्वतः ही निरस्त माना जावेगा एवं संस्थान निविदादाता फर्म से अपने नुकसान की भरपायी कर सकेगी (जिसमें प्रतिभूति जमा राशि जब्त करना भी शामिल होगा)
37. यदि सफल निविदादाता अपनी जमा निविदा के अनुसार कार्य करने से मना कर देता है या कार्य करने में असमर्थता जताता है अथवा निविदा को वपास ले लेता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि/सुरक्षा राशी जब्त कर ली जावेगी।
38. संस्थान को कार्मिकों के उपलब्ध कराने में नियत समय के पश्चात् देरी, अनुबंध की नियम-शर्तों की पालना नहीं करने एवं फर्म द्वारा लगाये गये कार्मिक के बार-बार कार्य से अनुपस्थित होने एवं उसके द्वारा दुर्व्यवहार करने पर फर्म द्वारा जमा प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जावेगी तथा फर्म को संस्थान के भविष्य की निविदाओं में भाग लेने के लिये अयोग्य एवं ब्लैकलिस्ट कर दिया जावेगा।
39. फर्म/एजेन्सी को किये जाने वाले भुगतान में नियमानुसार वैधानिक कटौतियां की जावेगी।
40. फर्म / एजेन्सी संस्थान को समय-समय पर संस्थान की आवश्यकतानुसार योग्य कार्मिक उपलब्ध करायेगी। उपलब्ध कराये गये कार्मिक फर्म / एजेन्सी के कर्मचारी होंगे एवं उनको समय पर हर माह वेतन प्रदान करने की जिम्मेदारी फर्म / एजेन्सी की होगी। फर्म / एजेन्सी के कर्मचारियों एवं खरीददार (राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान) के बीच किसी भी प्रकार का नियोक्ता-कार्मिक, मास्टर-सरवेन्ट का सम्बन्ध नहीं होगा। फर्म / एजेन्सी द्वारा संस्थान को उपलब्ध कराये गये कार्मिक संस्थान में किसी भी पद / नौकरी में समावेश करने की मांग नहीं करेगा।
41. फर्म / एजेन्सी को सम्बन्धित सरकारी विभाग जैसे:- श्रम विभाग, भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि से पंजीकृत होना चाहिये। एवं पंजीकरण की प्रतियां संस्थान को जमा करानी होगी। फर्म / एजेन्सी को अनुबंध श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम – 1970 एवं अनुबंध श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) नियम – 1971 के अनुसार अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिये सभी कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति यदि कोई हो तो स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।
42. अनुबंध / ठेका प्रदान करने का निर्णय जीएफआर में वर्णित नियमों की पालना के अनुरूप किया जावेगा।
43. अनुबंध से सम्बन्धित किसी भी विवाद के निपटारे के लिये न्यायिक क्षेत्र, जयपुर होगा।
44. निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को किसी भी / समस्त निविदाओं को स्वीकार-अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

45. निविदादाता अनुबन्ध के दौरान संस्थान को मजदूरी भुगतान अधिनियम:-1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम :- 1938, नियोक्ता दायित्व अधिनियम - 1938, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम:- 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम:- 1947, मातृत्व लाभ अधिनियम:- 1961 एवं उनको नवीनतम संशोधनों के अन्तर्गत / उससे सम्बन्धित कोई भी नियम या समय-समय पर बनाये गये विभिन्न नियमों के अन्तर्गत उत्पन्न किसी भी दावे / नुकसान / हर्जाने की पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करेंगा। संस्थान की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
46. अनुबन्ध के दौरान किसी भी कार्मिक से किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान करने / सुलझाने / दावे का निपटारा करने की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी। किसी भी परिस्थिति में संस्थान की उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अनुबन्ध समाप्त होने के पश्चात भी संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
47. अनुबन्ध के दौरान लगाये गये कार्मिक की अनुबन्ध में वर्णित कार्य करने के दौरान मृत्यु हो जाने या उसके घायल एवं चोटिल हो जाने की स्थिति में उससे सम्बन्धित समस्त भुगतान एवं जिम्मेदारियों / दावों के निपटारे की कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम या अन्य मौजूदा नियम एवं कानून के तहत समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता फर्म की होगी।
48. सफल निविदादाता को भारत सरकार के मानवाधिकार आयोग, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम की पालना सुनिश्चित करनी होगी। उक्त अधिनियमों की पालना नहीं करने पर समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता फर्म की होगी।

वित्तीय शर्तें(Financial)

49. सफल निविदादाता को अनुबन्ध निष्पादन की तिथि से 10 दिवस के भीतर 3 करोड़ का 5 प्रतिशत अर्थात् राशि रु. 15,00,000/- (अक्षरे पन्द्रह लाख रुपये) की प्रतिभूति जमा राशि (सुरक्षा राशि) जमा करानी होगी। उक्त राशी का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर जो कि निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के पक्ष में देय होगा। उक्त सुरक्षा राशी रुपये 15,00,000/- (अक्षरे पन्द्रह लाख रुपये) अनुबंध समाप्त होने पर फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को बिना किसी ब्याज के लौटा दी जावेगी।
50. फर्म/एजेन्सी द्वारा संस्थान में लगाये गये कार्मिकों का वेतन अनुबन्ध के अनुसार तय दरों पर अगले माह की 7 तारीख या उससे पूर्व देना सुनिश्चित किया जावेगा। वेतन का फर्म द्वारा भुगतान ईसीएस/चैक द्वारा लगाये गये कार्मिकों के बैंक खाते में किया जावेगा। भुगतान ईसीएस/चैक से किये जाने का प्रमाण संस्थान में अगले माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
51. फर्म/एजेन्सी को किसी भी स्थिति में संस्थान द्वारा अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। संस्थान द्वारा फर्म /एजेन्सी को भुगतान मासिक रूप से किया जावेगा। फर्म को महीने का प्रति कार्मिक के व्यक्तिशः बिल (नियंत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति), माह समाप्ति के पश्चात् अगले महीने की तीन तारीख तक सर्विस टैक्स, ईपीएफ, ईएसआई आदि के पिछले माह के भुगतान से सम्बन्धित सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ संस्थान में प्रस्तुत करना होगा। फर्म/एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल को संस्थान द्वारा भुगतान के लिये अग्रेषित किया जावेगा। उक्त के अभाव में संस्थान द्वारा एजेन्सी/फर्म को भुगतान नहीं किया जावेगा।
52. एजेन्सी/फर्म को नियमानुसार भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा का नियोक्ता योगदान पृथक से देय होगा। जहां लागू हो भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा में नियमानुसार कर्मचारी एवं कार्मिक योगदान को जमा करवाने की जिम्मेदारी फर्म/एजेन्सी की होगी।
53. फर्म/एजेन्सी द्वारा लगाये कर्मचारियों का भुगतान फर्म को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा।
54. फर्म एवं एजेन्सी को प्रत्येक कार्मिक को मासिक वेतन पर्ची जारी करनी होगी, जिसकी एक प्रति संस्थान को जिसमें :- भुगतान का विवरण, कटौतिया (सभी वैधानिक कटौतियों समेत) एवं अंतिम भुगतान राशि, प्रत्येक कार्मिक को भुगतान के चालान की प्रति के साथ प्रेषित करनी होगी।

55. अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी भी स्थिति में निर्धारित देय राशि में वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
56. फर्म/एजेन्सी द्वारा सेवा शुल्क प्रतिशत दरो (दशमलव के पश्चात दो अंको से अधिक अंको में मान्य नहीं होगा) में ही देना होगा। फर्म/एजेन्सी द्वारा अन्य किसी रूप में दरे दर्शाने पर निविदा विचार योग्य नहीं होगी।
57. फर्म/एजेन्सी द्वारा सेवा शुल्क शून्य/निल/अव्यवहारिक प्रतिशत दर देने पर निविदा विचार योग्य नहीं होगी।
58. वित्तीय निविदा में किसी भी प्रकार का उपरिलेखन/कांट-छांट मान्य नहीं होगी।
59. निविदा दाता फर्म द्वारा प्रस्तुत दरे शब्दों में एवं अंको में स्पष्ट अंकित करनी होगी। शब्दों एवं अंको में किसी प्रकार का अन्तर होने पर शब्दों में अंकित दरो को मान्यता दी जायेगी।
60. विशेष परिस्थितियों में निविदा दाताओं द्वारा प्रस्तुत वित्तीय निविदाओं में दो या दो से अधिक निविदा L-1/समान आने पर निर्णय निदेशक महोदय द्वारा गठित समिति की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।

परीक्षण सूची

		पेज न.	हॉ/ना	टिप्पणी
1.	निविदादाता कम्पनी / फर्म / एजेन्सी का नाम			
2.	मालिक / पार्टनर/ निदेशक का नाम एवं आधार न. की प्रति			
3.	कार्यालय का पूरा पता/टेलिफोन न./फैक्स न. एवं ई मेल			
4.	स्थानीय कार्यालय का पूरा पता/टेलिफोन न./फैक्स न. एवं ई मेल			
5.	कम्पनी/फर्म/एजेन्सी के बैंक का पूरा पता/दूरभाष न. /ई मेल			
6.	पैन न./जी.आई.आर न.			
7.	जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन न.			
8.	ई.पी.एफ रजिस्ट्रेशन न.			
9.	ई.एस.आई रजिस्ट्रेशन न.			
10.	फर्म/एजेन्सी/कम्पनी का रजिस्ट्रेशन न.			
11.	कम्पनी की वार्षिक विवरण एवं गत 3 वर्ष की ओडिटेड बैलेन्स शीट एवं प्रोफिट एवं लोस अकाउन्ट शीट			
12.	फर्म किसी भी भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रतिबंधित नहीं है का शपथ पत्र			
13.	भारत सरकार/राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में तीन वर्षों में उपलब्ध कराये गये कुल कार्मिको की सूची			
14.	नियम एवं शर्तों की स्वीकार्यता			
15.	2500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पक्ष में देय हो। या नकद जमा रसीद			
16.	धरोहर राशी डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर रु 6,00,000 (अक्षरे रुपये छः लाख) निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पक्ष में देय हो।			

कम्पनी के मालिक / प्रबन्ध भागीदार / निदेशक
के हस्ताक्षर
नाम,पता / दूरभाष संख्या:-
कम्पनी की मोहर

स्थान:
दिनांक:-

परिशिष्ट – 3

तकनीकी निविदा का प्रारूप – (कवर – ए)

1.	निविदादाता कम्पनी / फर्म / एजेन्सी का नाम	
2.	मालिक / पार्टनर/ निदेशक का नाम	
3.	कार्यालय का पूर्ण विवरण	
(ए)	पता	
(बी)	दूरभाष संख्या	
(सी)	फैक्स नम्बर	
(डी)	ई-मेल का पता	
	स्थानीय कार्यालय का पूर्ण विवरण	
(ए)	अधिकृत अधिकारी का नाम	
(बी)	पता	
(सी)	दूरभाष संख्या	
(डी)	फैक्स नम्बर	
(ई)	ई-मेल का पता	
4.	कम्पनी / फर्म / एजेन्सी के बैंक का पूर्ण विवरण पता, दूरभाष संख्या सहित	
(ए)	बैंक का नाम	
(बी)	शाखा का पता	
(सी)	दूरभाष संख्या	
(डी)	ई-मेल का पता	
5.	पंजीकरण का विवरण	
(ए)	फर्म / एजेन्सी का पंजीकरण नं.	
(बी)	पैन / जीआईआर नं.	
(सी)	जी एस टी पंजीकरण संख्या	
(डी)	ईपीएफ पंजीकरण संख्या	
(ई)	ईएसआई पंजीकरण संख्या	
	मालिक/पार्टनर/निदेशक का आधार नं.	

6.	धरोहर जमा राशि का विवरण		
(ए)	राशि (रु.)		
(बी)	डीडी / पीओ संख्या		
(सी)	बैंक पर आहरित		
(डी)	वैधता दिनांक		
7.	निविदा शुल्क राशि का विवरण		
(ए)	राशि		
(बी)	डीडी / पीओ / संस्था रसीद संख्या		
(सी)	बैंक पर आहरित		
(डी)	वैधता दिनांक		
8.	कम्पनी / फर्म / एजेन्सी का गत 3 वर्षों का वार्षिक कुल कारोबार (चार्टर्ड एकाउंटेंट / लेखा परीक्षक (आडिटर) द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न प्रोफार्मानुसार, गत 3 वर्षों का आडिटेड बैलेन्सशीट एवं इनकम टैक्स रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करे।		
	2017-2018		
	2018-2019		
	2019-2020		
9.	सम्बन्धित कार्य का अनुभव (प्रमाण सहित)		
	कार्य से सम्बन्धित कुल अनुभव वर्षों में (कम से कम गत 3 वर्ष)	फर्म/एजेन्सी के पास केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वास्तशासी निकायों / संस्थान में पिछले वर्षों में समान प्रकृति के कार्य का अनुभव ।	

कम्पनी के मालिक / प्रबन्ध भागीदार / निदेशक
के हस्ताक्षर
नाम,पता / दूरभाष संख्या:-
कम्पनी की मोहर

स्थान:
दिनांक:-

(प्रमाण पत्र)

(चार्टर्ड एकाउंटेंट / लेखा परीक्षक (आडिटर) द्वारा सत्यापित)
(तकनीकी निविदा के साथ जमा कराये)

मैसर्स..... का
गत तीन वर्षों का कुल वार्षिक कारोबार निम्नानुसार है। यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न वर्णित
जानकारी सही / प्रमाणिक है।

क्रम. सं.	वर्ष	कुल वार्षिक करोबार (लाख रु. में)
1.	2017-2018	
2.	2018-2019	
3.	2019-2020	
	कुल	रु. लाख

कुल वार्षिक औसतन कारोबार :- रु. (लाख)

चार्टर्ड एकाउंटेंट / लेखा परीक्षक (आडिटर)
के हस्ताक्षर एवं मोहर

एजेन्सी द्वारा अन्य संस्थाओं में उपलब्ध कराये गये कार्मिकों का विवरण
(तकनीकी निविदा के साथ जमा कराये)

संस्थान का नाम जहा कार्मिक उपलब्ध कराये गये है	पद का नाम	उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की संख्या		
		2017-2018	2018-2019	2019-2020
कुल उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की संख्या				

नोट: उपरोक्त के प्रमाण में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

कम्पनी के मालिक / प्रबन्ध भागीदार / निदेशक
के हस्ताक्षर

नाम,पता / दूरभाष संख्या:-

कम्पनी की मोहर

घोषणा पत्र

1. मैं..... पुत्र /पुत्री श्री.....
मैसर्स..... का
प्रोपराईटर / भागीदार / निदेशक / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ। मैं यह शपथ पत्र
हस्ताक्षर करने एवं निविदा दस्तावेज निष्पादित करने के लिए अधिकृत हूँ।
2. मैंने निविदा दस्तावेज में वर्णित सभी नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ लिया है एवं मैं उन
सब पर अपनी सहमति प्रकट करता हूँ।
3. निविदा के साथ प्रस्तुत की गयी सभी सूचनाएं / दस्तावेज मेरी जानकारी एवं विश्वास के
अनुसार प्रामाणिक एवं सत्य है। मैं / हम अच्छी तरह से जानते है कि निविदा के साथ
किसी भी तरह की गलत / भ्रामक जानकारी एवं असत्य एवं कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत
करने पर मेरी / हमारी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जावेगी। तथा इसके लिये मेरे /
हमारे ऊपर लागू कानून के तहत अभियोजन भी चलाया जा सकता है।

कम्पनी के मालिक / प्रबन्ध भागीदार / निदेशक
के हस्ताक्षर

नाम,पता / दूरभाष संख्या:-
कम्पनी की मोहर

स्थान:-
दिनांक:-

नोट: उपरोक्त शपथ पत्र, सहमति के रूप में एजेन्सी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मोहर
लगाकर हस्ताक्षरित कर तकनीकी निविदा से साथ जमा कराये।